सेवा में,

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
राजस्व परिषद उ0प्र0
लखनऊ
द्वारा जिलाधिकारी महोदय,
जनपद ....

<u>बिषयः– प्रदेश के लेखपालों की बरिष्ठता सूची की अनियमित रूप से,मनमानी अवधारणा करके ज्येष्ठ लेखपालों की ज्येष्ठता का अवैध रूप से अतिक्रमण करके, कनिष्ठ लेखपालों को सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो, एल0आर0सी0,के पदों पर अनियमित रूप से पदोन्नति प्रदान कर दी गयी जिसके परिणामस्वरूप उ0प्र0 अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक सेवा नियमावली (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली 2014 की व्यवस्था के अनुसार संवर्ग एकीकृत किये जाने से ऐसे सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो, एल0आर0सी0 को राजस्व निरीक्षक प्रास्थिति प्रदान कर दी गयी,ऐसे अनियमित,अवैध, संविधान की भावना के विपरीत,ज्येष्ठता का अतिक्रमण करते हुये,मनमानी रीति से, बनाये गये राजस्व निरीक्षकों से ज्येष्ठ लेखपालों को भी राजस्व निरीक्षक प्रास्थिति प्रदान किये जाने हेतु।</u>

महोदय,

प्रत्यावेदन कर्ता का विनम्र निवेदन निम्न प्रकार है–

1.यह कि प्रत्यावदेन कर्ता लेखपाल पद पर जनपद.. में कार्यरत है। जिसकी उक्त पद पर नियुक्ति दिनांक .... है।

2.यह कि लेखपाल का पदोन्नति का पद राजस्व निरीक्षक है।

3.यह कि पदोन्नति नियमानुसार केवल बरिष्ठता के आधार पर की जाती है। जिसके सम्बन्ध में समय–समय पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है।

4.यह कि लेखपाल की पदोन्नति करने के प्राधिकार माननीय राजस्व परिषद उ0प्र0 के अधीन है।

5.किसी भी जनपद के जिलाधिकारी को लेखपाल की प्रोन्नति करने का अधिकार नहीं है।

6.यह कि परिषदादेश 10086/4–17 ई0/94 (टी0सी0) दिनांक 4.10.07 में रजिस्ट्रार कानूनगो के चयन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रसारित किये गये थे तथा अनियमित चयन को निरस्त कर सूचना माननीय राजस्व परिषद को किये जाने के भी निर्देश प्रसारित किये गये थे। किन्तु उन दिशा निर्देशों का जनपदों में उक्त पद हेतु किये गये चयन में पालन नहीं किया गया तथा अनियमित रूप से **<u>कनिष्ठ लेखपालों</u>** का चयन कर सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो,रजिस्ट्रार कानूनगो तथा एल0आर0सी0 पदों पर पदोन्नति प्रदान कर वरिष्ठ लेखपालों के साथ अन्याय किया गया है। इस प्रकार ऐसे सभी चयन/ प्रोन्नति निरस्त किये जाने योग्य है।

7.यह कि उपरोक्त परिषदादेश के प्रस्तर 1 के अनुसार दिनांक 22.2.1995 से सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो का रजिस्ट्रार कानूनगो पद में सविलयन किया जा चुका है,इसलिये सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर **<u>चयन,अनियमित,अवैधानिक</u>** है। क्योकि जव कोई **<u>पद ही अस्तित्व में</u>** नहीं है तो उस पर कोई चयन या नियुक्ति,पूर्णतः अनियमित है किन्तु फिर भी जनपदों में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो पर चयन कर नियुक्ति की गई है जो अबैधानिक है इसलिये ऐसे सभी चयन /नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

8.यह कि उपरोक्त परिषदादेश के प्रस्तर तीन के पैरा 2 में भी स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि **''दिनांक 22.2.1995 से एकीकृत संवर्ग घोषित हो जाने के फलस्वरूप रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर चयन उ0प्र0राजस्व लिपिक नियमावली 1958 तथा राजस्व विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 17.12.1962 के आधार पर कार्यवाही सम्पादित की जाये''** किन्तु जनपदों में कार्यवाही उपरोक्त निर्देशों एवम नियमों के विपरीत सम्पादित की गई अतः उपरोक्त प्रकार के सभी अनियमित चयन निरस्त किये जाने योग्य है।

9.यह भी ध्यानाकर्षण कराना है कि उपरोक्त परिषदादेश के प्रस्तर 2 में उल्लेख किया गया है कि परिषदादेश संख्या 8332/4–22ई /88 दिनांक 22.5.1990 के अन्तर्गत यह सूचित किया गया था कि रजिस्ट्रार कानूनगो चयन में **<u>केवल ज्येष्ठता को आधार</u>** बनाया जाये,किसी ज्येष्ठ कर्मचारी के **<u>अनुपयुक्त पाये जाने पर उसके सम्मुख कारण स्पष्ट लिखा जाये</u>** किन्तु कतिपय जनपदों में उक्त चयन में ज्येष्ठता पर ध्यान ही नहीं दिया गया तथा कनिष्ठों का चयन कर दिया गया है। ऐसे अनियमित चयन निरस्त किये जाने योग्य है।

10.यह कि उपरोक्त निर्देशों के आलोक में अवगत कराना है कि चयन रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर होना था, ऐसी स्थिति में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर चयन किया जाना अनियमित है तथा चयन का आधार केवल बरिष्ठता होना चाहिये था तथा ज्येष्ठता का निर्धारण केवल **<u>कोटिक्रम सूची</u>** से ही हो सकता है

अन्य किसी प्रकार से नहीं। ज्येष्ठता सूची से इतर ज्येष्ठता की कोई अवधारणा किया जाना अनियमित है इस प्रकार ऐसे सभी अनियमित चयन निरस्त किये जाने योग्य है।

10(क). दिनांक 22.02.1995 के उपरान्त सहा0रजि0कानूनगो पद समाप्त कर दिया गया था तो सहा0रजि0कानूनगो पद पर चयन किया जाना अनियमित था तो ऐसे **सहा0रजि0कानूनगो के अनियमित पद धारकों को नियमावली के परिपालन में वरिष्ठता सूची** में शामिल किया जाना भी अनियमित है।

11.यह कि जनपदों में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो तथा एल0आर0सी0 के चयन में बरिष्ठतम लेखपालों को **मनमाने तरीके से** छोड दिया गया

12.यह कि जनपदों में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो तथा एल0आर0सी0 के चयन में बरिष्ठतम लेखपालों से उनकी प्रोन्नति को छोड़ने के **आशय का कोई शपथ पत्र नहीं** लिया गया था।

13. यह कि किसी भी प्रोन्नति की प्रकिया में विज्ञप्ति आदि नहीं जारी की गई तथा ऐसी कोई प्रकिया सम्पादित की जा रही है उसे **व्यापक रूप से संज्ञानित कराने हेतु कोई सूचना किसी** भी लेखपाल को प्रायः नहीं दी गई।

14. यह कि माननीय राजस्व परिषद द्वारा सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो तथा एल0आर0सी0 पदों हेतु कोई डी0पी0सी0 द्वारा कोई पदोन्नति की प्रकिया पूर्ण नहीं करायी गयी।

15.यह कि उ0प्र0 अधीनस्थ कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली 2014 को बनाये जाने से पूर्व यह जाँच आवश्यक थी कि नियमावली में बर्णित राजस्व निरीक्षक नाम का एक संवर्ग किये जाने से पूर्व उसमे शामिल किये जा रहे सभी विभिन्न चयन पद्वति के संवर्गो की **नियुक्तियां नियमित एवम् वैध है या नहीं ऐसी कोई जाँच नहीं की गई।**

16. यह कि प्रदेश के सभी सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो, तथा एल0आर0सी0 के पदो पर नियुक्ति पाने वाले लेखपाल जनपदों में ही **काफी कनिष्ठ थे प्रदेश में अति कनिष्ठ(नियुक्ति दिनांक 16.07.2005) थे**। इसलिये ऐसी पदोन्नतियों को निरस्त किया जाना था।

17.यह कि प्रस्तर 15 व 16 के अनुसार कार्यवाही उपरान्त **सही नियुक्तिया की जाकर उपरान्त में संवर्ग को एकीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय परिषद द्वारा किया जाना चाहिये था।** किन्तु ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार पूरे प्रदेश में एक **व्यतिकम** उत्पन्न हो गया है।

18. यह कि विना नियमित प्रोन्नति पाये लेखपालों को भी एकीकृत संवर्ग में शामिल कर अन्य **बरिष्ठ लेखपालों के साथ भेदभाव तथा अन्याय** किया है। ऐसी अनियमित पदोन्नति पाये सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो,तथा एल0आर0सी0 को उनके पोषक पद लेखपाल पद पर **पदावनत किया जाना न्यायहित** में आवश्यक है। प्रदेश में ऐसे चयन हेतु की गयी सभी प्रक्रियायें निरस्त किये जाने योग्य हैं।

19.यह कि पदोन्नति हेतु केवल **ज्येष्ठता नियमावली 1991 के अनुसार कार्यवाही करते हुये केवल ज्येष्ठता सूची के आधार पर ही नामों का विचार किया जाना चाहिये था।** ज्येष्ठता के निर्धारण हेतु ज्येष्ठता नियमावली 1991 के अनुसार ही अवधारणा की जानी चाहिये थी। किन्तु अधिकतर जनपदों में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो,रजिस्ट्रार कानूनगो तथा एल0आर0सी0 के पदो पर पदोन्नति हेतु चयन करते समय ऐसा नही किया गया। जिससे **चयन अनियमित हो गये** जो निरस्त किये जाने योग्य है।

20.यह कि कार्यालय राजस्व परिषद,उ0प्र0,लखनऊ द्वारा राजस्व निरीक्षक पद की बरिष्ठता सूची में **अति कनिष्ठ लेखपाल जिसका नियुक्ति दिनांक 16.07.2005 है** को भी शामिल किया गया है जो प्रत्यावेदन कर्ता से कनिष्ठ है। जवकि प्रत्यावेदन कर्ता वर्तमान में भी लेखपाल पद पर कार्यरत है।

21. यह कि उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है उपरोक्त बर्णित लेखपालों को अनियमित अवैध लाभ के अन्तर्गत अनियमित **पदोन्नति राजस्व निरीक्षक,सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो,रजिस्ट्रार कानूनगो तथा एल0आर0सी0** के पद पर प्रदान की गयी जिसके कारण प्रत्यावेदन कर्ता के साथ एवम् अन्य बरिष्ठ लेखपालों के **हितो का अतिकमण किया गया है।** इसलिये उक्त प्रकार की पदोन्नतियां अनियमित व अवैध है। जिन्हे न्याय हित में निरस्त किया जाना आवश्यक है।

22.यह कि उपरोक्त सूची में अंकित प्रत्यावेदन कर्ता से कनिष्ठ लेखपाल जो **पदोन्नति पाकर राजस्व निरीक्षक,सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो,रजिस्ट्रार कानूनगो तथा एल0आर0सी0** बनाये गये इनकी **पदोन्नति ही अवैध है**। चूंकि पदोन्नति अवैध या शून्य है **इसलिये इन्हें लेखपाल पद पर पदावनत किया जाना था किन्तु इन्हें पदावनत करने के स्थान पर एकीकृत संवर्ग राजस्व निरीक्षक की प्रास्थिति प्रदान कर दी गई, जबकि प्रत्यावेदन कर्ता उल्लिखित लेखपालों से बरिष्ठ है इसलिये उसे भी राजस्व निरीक्षक प्रास्थिति प्रदान किया जाना न्याय संगत है।**

23.यह कि उपरोक्त सूची में अंकित प्रत्यावेदन कर्ता से कनिष्ठ लेखपाल जो **प्रथम पदोन्नति पाकर राजस्व निरीक्षक,सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो,रजिस्ट्रार कानूनगो तथा एल0आर0सी0** बनाये गये इनकी **पदोन्नति ही अवैध है**। इस प्रथम पदोन्नति के फलस्वरूप ये परिणामी ज्येष्ठता का लाभ लेकर द्वितीय पदोन्नति भी अनियमित रूप से पा जायेगे। चूंकि इनकी प्रथम पदोन्नति अवैध या शून्य है **इसलिये इन्हें लेखपाल पद पर पदावनत किया जाना विधि सम्मत है।**

24.यह कि प्रथम पदोन्नति नियमानुसार केवल बरिष्ठता के आधार पर की जानी चाहिये। जिसके सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। किन्तु ऐसा नहीं करके प्रत्यावेदन कर्ता तथा **प्रदेश के अन्य बरिष्ठ लेखपालों** के साथ अन्याय कर उनका हित प्रभावित किया गया है इसलिये सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो,रजिस्ट्रार कानूनगो, तथा एल0आर0सी0 पदों पर ऐसी सभी **पदोन्नतियां** निरस्त किये जाने योग्य है।

25.यह कि जव प्रथम पदोन्नति अवैध हो गयी है तथा ऐसी पदोन्नतियों को निरस्त नहीं किया जाता है तो **प्रत्यावेदन कर्ता को ऐसी हानि होगी जिससे क्षतिपूर्ति भविष्य में कभी नहीं की जा सकेगी।**

26.यह कि इस प्रकार प्रत्यावेदन कर्ता से कनिष्ठ लेखपालों (जिनमें नियुक्ति दिनांक 16.07.2005 भी शामिल है) को **राजस्व निरीक्षक पदनाम देकर उक्त पद पर नियुक्त कर दिया गया हैं** जवकि प्रत्यावेदन कर्ता वर्तमान में भी लेखपाल पद पर कार्यरत है। अतः प्रत्यावेदन कर्ता के **हितों के साथ अन्याय किया गया है** इसलिये ऐसे सभी चयन/पदोन्नतियां निरस्त किये जाने योग्य है।

27.यह कि प्रदेश के जनपदों में विभिन्न पदोन्नति प्रकरणों में ज्येष्ठता का अवैध,अनियमित अतिक्रमण किया है। जनपदीय स्तर पर सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो,रजिस्ट्रार कानूनगो, तथा एल0आर0सी0 पदों पर लेखपालों में से जो भी पदोन्नतियां की गई प्रायः ज्येष्ठता का अतिक्रमण करते हुये ही की गई है **जिनकी न्याय हेतु गहन जाँच आवश्यक है।** कनिष्ठ लेखपालों का चयन कर पदोन्नति प्रदान कर दी गई। जबकि अन्य बरिष्ठ लेखपालों के नामों पर विचार ही नहीं किया गया। इसलिये ऐसे सभी चयन/पदोन्नतियां निरस्त किये जाने योग्य है।

28.यह कि कार्यवाही उपरोक्त वर्णित नियमों एवम् निर्देशों के अनुरूप ही सम्पादित की जानी चाहिये थी, किन्तु कतिपय जनपदों में जनपदीय स्तर पर की गई प्रोन्नतियों/चयन में उपरोक्त नियमों की अनदेखी कर **मनमाने तरीके से नियम विरूद्ध चयन प्रकिया अपनाकर** सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो,रजिस्ट्रार कानूनगो,एल0आर0सी0 पद पर नियुक्तियां की गई जो निरस्त होने योग्य है।

29. यह कि विभिन्न जनपदों में वर्ष 2005 के उपरान्त में अनियमित रूप से लाभ देते हुये कुछ कनिष्ठ लेखपालों (जिनकी नियुक्ति दिनांक 16.07.2005 भी है) को सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो तथा रजिस्ट्रार कानूनगो एवम् एल0आर0सी0 के रूप में चयन कर नियुक्ति प्रदान कर दी गई जो पूर्ण रूप अनियमित है इसलिये **सम्पूर्ण प्रदेश में ऐसे चयन हेतु** की गयी सभी प्रकियायें निरस्त किये जाने योग्य हैं।

30.माननीय राजस्व परिषद द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दी गई सूचना के अनुसार राजस्व परिषद के पास यह सूचना उपलब्ध नही है कि प्रदेश की रा0नि0 बरिष्ठता सूची में शामिल किये गये सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो,रजिस्ट्रार कानूनगो,एल0आर0सी0 पदों पर पदोन्नति के समय प्रदेश के बरिष्ठतम लेखपाल थे या नहीं, **इससे यह सिद्ध होता है कि माननीय परिषद ने उक्त पदोन्नतियों की निगरानी नहीं की।** तथा अनियमित चयन को भी स्वीकार करते हुये बरिष्ठता सूची मे नाम अंकित किये गये इस प्रकार बरिष्ठता सूची दूषित रूप से बनायी गई है।

31.माननीय राजस्व परिषद ने यह भी संज्ञान नहीं लिया कि उक्त बरिष्ठता सूची में शामिल सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो,रजिस्ट्रार कानूनगो,एल0आर0सी0 उक्त पदों पर पदोन्नति के समय जनपद में भी बरिष्ठतम लेखपाल थे या नहीं, **इससे यह सिद्ध होता है जनपदों पर अनियमित प्रकिया अपना कर दूषित मन्तव्यों के साथ कार्य करते हुये अनियमित चयन किये गये।** ऐसे चयन निरस्त किये जाने योग्य है।

32.माननीय राजस्व परिषद ने उक्त चयन के वाद भी जारी परिषदादेश संख्या 8332/4–22ई /88 दिनांक 22.5.1990 के जनपदों पर पालन कराये जाने में **कोई रूचि नही दिखायी उक्त परिषदादेश की आलोक में नियुक्तियों की जाँच नहीं की गई** तथा अनियमित पाये चयन को निरस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की। यह भी परिषद द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है।

33.यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कम में जारी शासनादेश संख्या 4/1/2002 टी0सी0 –1–का–2/2012 दिनांक 8.05.2012 के संशोधन आदेश दिनांक 30.03.2015 के अनुसार दिनांक 15.11.97 के पश्चात तथा दिनांक 28.04.2012 से पूर्व आरक्षण को आधार बना कर की गई पदोन्नतियां निरस्त करते हुये, ऐसी पदोन्नति पाये कार्मिकों को पदावनत किया जाना है। राजस्व विभाग में भी ऐसी

पदोन्नति पाये राजस्व निरीक्षक,सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो,तथा एल0आर0सी0 को उनके पोषक पद लेखपाल पद पर पदावनत किया जाना है। किन्तु राजस्व विभाग में मनमानी परिभाषा बनाते हुये कि इन कार्मिकों से कनिष्ठ का यदि राजस्व निरीक्षक,सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो या एल0आर0सी0 पद पर चयन हो गया है तो ऐसे कार्मिकों को लेखपाल पद पर पदानवत नहीं किया जा सकता है। जवकि उपरोक्त सभी से **बरिष्ठ वर्तमान में लेखपाल पद पर ही कार्यरत है।** इसलिये राजस्व विभाग में ऐसे चयन हेतु की गयी सभी प्रक्रियायें निरस्त किये जाने योग्य हैं।

34.यह कि सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो पद हेतु पूर्व में अर्हता हेतु अधिकतम 35 वर्ष की आयु थी। नियुक्ति के उपरान्त वयवस्थानुसार द्वितीय प्रोन्नति रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर की जानी थी। उपरोक्त चयन में वाछित अर्हता का संज्ञान नहीं लिया गया है। **एकीकृत संवर्ग की बरिष्ठता सूची में ऐसे कार्मिकों का नाम अंकित किया जाना अनियमित है।**

35.यह कि माननीय राजस्व परिषद से प्राप्त राजस्व निरीक्षक की बरिष्ठता सूची का अवलोकन करने से यह संज्ञान हो जाता है कि प्रदेश के **कतिपय जनपदों में रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर चयन किया गया तथा अन्य कतिपय जनपदों में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर चयन किया गया है।** इससे यह सिद्ध होता है कि प्रदेश में एक व्यवस्था नहीं अपनायी गयी मनमानी व्यवस्था बना कर अनियमित चयन किये गये जो निरस्त किये जाने योग्य है।

36.यह कि कुछ अति कनिष्ठ लेखपालों को अनियमित रूप से सहा0रजि0कानूनगो, रजि0कानूनगो नियुक्त करने के उपरान्त उनको राजस्व निरीक्षक पद की प्रास्थिति प्रदान करते हुये उक्त राजस्व निरीक्षक का प्रशिक्षण विगत माह जून 2015 से सितम्बर 2015 में कराया गया है, इसलिये इनसे बरिष्ठ लेखपालों को भी राजस्व निरीक्षक पद की प्रास्थिति प्रदान करते हुये उक्त पद का प्रशिक्षण कराते हुये उक्त पद पर नियुक्ति प्रदान किया जाना न्यायसंगत होगा।

प्रार्थना

अतः महोदय से प्रार्थना है कि कतिपय जनपदों में ज्येष्ठता का अतिक्रमण करके सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो,रजिस्ट्रार कानूनगो,एल0आर0सी0 तथा राजस्व निरीक्षक पदों पर वर्ष 2005 के बाद किये गये अनियमित चयन/ नियुक्तियों को निरस्त करते हुये **अनियमित,अवैध,संविधान की भावना के विपरीत,ज्येष्ठता का अतिक्रमण करते हुये,मनमानी रीति से दी गई पदोन्नतियों के परिणाम स्वरूप एकीकृत राजस्व निरीक्षक संवर्ग में प्रत्यावेदन कर्ता से कनिष्ठ लेखपालों को राजस्व निरीक्षक (लेखपाल का पदोन्नति का पद) पद की प्रास्थिति प्रदान कर दी गयी है इसलिये प्रत्यावदेन कर्ता को भी उल्लिखित राजस्व निरीक्षक प्रास्थिति पाये लेखपालों से बरिष्ठ होने के कारण, राजस्व निरीक्षक प्रास्थिति प्रदान करते हुये उ0प्र0राजस्व निरीक्षकों की बरिष्ठता सूची में यथा स्थान अंकित करने की कृपा करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रत्यावेदनकर्ता से कनिष्ठ अनियमित रूप से राजस्व निरीक्षक की प्रास्थिति पाये,सूची में शामिल लेखपालों को मूल पद लेखपाल पर पदावनत किया जाये।**

प्रत्यावेदन कर्ता महोदय का सदा आभारी रहेगा।

न्याय की प्रत्याशा में आभार सहित!

प्रत्यावेदन कर्ता

दिनांक

अग्रिम प्रतिलिपिः—
श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व परिषद,उ0प्र0लखनऊ।

सेवा में,

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
राजस्व परिषद उ0प्र0
लखनऊ
द्वारा जिलाधिकारी महोदय,
जनपद अलीगढ़।

बिषयः— प्रदेश के लेखपालों की बरिष्ठता सूची की अनियमित रूप से,मनमानी अवधारणा करके ज्येष्ठ लेखपालों की ज्येष्ठता का अवैध रूप से अतिक्रमण करके, कनिष्ठ लेखपालों को सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिट्रार कानूनगो, एल0आर0सी0,के पदों पर अनियमित रूप से पदोन्नति प्रदान कर दी गयी जिसके परिणामस्वरूप उ0प्र0 अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक सेवा नियमावली (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली 2014 की व्यवस्था के अनुसार संवर्ग एकीकृत किये जाने से ऐसे सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिट्रार कानूनगो, एल0आर0सी0 को राजस्व निरीक्षक प्रास्थिति प्रदान कर दी गयी,ऐसे अनियमित,अवैध, संविधान की भावना के विपरीत,ज्येष्ठता का अतिक्रमण करते हुये,मनमानी रीति से, बनाये गये राजस्व निरीक्षकों से ज्येष्ठ लेखपालों को भी राजस्व निरीक्षक प्रास्थिति प्रदान किये जाने हेतु।

कृष्ण कुमार सिंह ———————————————————— प्रत्यावेदन कर्ता

महोदय,

प्रत्यावेदन कर्ता का विनम्र निवेदन निम्न प्रकार है—

1.यह कि प्रत्यावदेन कर्ता लेखपाल पद पर जनपद अलीगढ में कार्यरत है जिसकी सेवा पुस्तिका में अंकन के अनुसार उक्त पद पर प्रथम नियुक्ति 14.11.1991 है।

2.यह कि लेखपाल का पदोन्नति का पद राजस्व निरीक्षक है।

3.यह कि पदोन्नति नियमानुसार केवल बरिष्ठता के आधार पर की जाती है। जिसके सम्बन्ध में समय—समय पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है।

4.यह कि लेखपाल की पदोन्नति करने के प्राधिकार माननीय राजस्व परिषद उ0प्र0 के अधीन है।

5.किसी भी जनपद के जिलाधिकारी को लेखपाल की प्रोन्नति करने का अधिकार नहीं है।

6.यह कि परिषदादेश 10086/4—17 ई0/94 (टी0सी0) दिनांक 4.10.07 में रजिस्ट्रार कानूनगो के चयन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रसारित किये गये थे तथा अनियमित चयन को निरस्त कर सूचना माननीय राजस्व परिषद को किये जाने के भी निर्देश प्रसारित किये गये थे। किन्तु उन दिशा निर्देशों का जनपदों में उक्त पद हेतु किये गये चयन में पालन नहीं किया गया तथा अनियमित रूप से **कनिष्ठ लेखपालों** का चयन कर सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो,रजिस्ट्रार कानूनगो तथा एल0आर0सी0 पदों पर पदोन्नति प्रदान कर वरिष्ठ लेखपालों के साथ अन्याय किया गया है। इस प्रकार ऐसे सभी चयन/ प्रोन्नति निरस्त किये जाने योग्य है।

7.यह कि उपरोक्त परिषदादेश के प्रस्तर 1 के अनुसार दिनांक 22.2.1995 से सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो का रजिस्ट्रार कानूनगो पद में सविलयन किया जा चुका है,इसलिये सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर **चयन,अनियमित,अवैधानिक** है। क्योकि जव कोई **पद ही अस्तित्व में** नहीं है तो उस पर कोई चयन या नियुक्ति,पूर्णतः अनियमित है किन्तु फिर भी जनपदों में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो पर चयन कर नियुक्ति की गई है जो अबैधानिक है इसलिये ऐसे सभी चयन /नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य है।

8.यह कि उपरोक्त परिषदादेश के प्रस्तर तीन के पैरा 2 में भी स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि **''दिनांक 22.2.1995 से एकीकृत संवर्ग घोषित हो जाने के फलस्वरूप रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर चयन उ0प्र0राजस्व लिपिक नियमावली 1958 तथा राजस्व विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 17.12.1962 के आधार पर कार्यवाही सम्पादित की जाये''** किन्तु जनपदों में कार्यवाही उपरोक्त निर्देशों एवम नियमों के विपरीत सम्पादित की गई अतः उपरोक्त प्रकार के सभी अनियमित चयन निरस्त किये जाने योग्य है।

9.यह भी ध्यानाकर्षण कराना है कि उपरोक्त परिषदादेश के प्रस्तर 2 में उल्लेख किया गया है कि परिषदादेश संख्या 8332/4—22ई /88 दिनांक 22.5.1990 के अन्तर्गत यह सूचित किया गया था कि रजिस्ट्रार कानूनगो चयन में **केवल ज्येष्ठता को आधार** बनाया जाये,किसी ज्येष्ठ कर्मचारी के **अनुपयुक्त पाये जाने पर**

उसके सम्मुख कारण स्पष्ट लिखा जाये किन्तु कतिपय जनपदों में उक्त चयन में ज्येष्ठता पर ध्यान ही नहीं दिया गया तथा कनिष्ठों का चयन कर दिया गया है। ऐसे अनियमित चयन निरस्त किये जाने योग्य है।

10.यह कि उपरोक्त निर्देशों के आलोक में अवगत कराना है कि चयन रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर होना था, ऐसी स्थिति में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर चयन किया जाना अनियमित है तथा चयन का आधार केवल बरिष्ठता होना चाहिये था तथा ज्येष्ठता का निर्धारण केवल **कोटिकम सूची** से ही हो सकता है अन्य किसी प्रकार से नहीं। ज्येष्ठता सूची से इतर ज्येष्ठता की कोई अवधारणा किया जाना अनियमित है इस प्रकार ऐसे सभी अनियमित चयन निरस्त किये जाने योग्य है।

10(क). दिनांक 22.02.1995 के उपरान्त सहा0रजि0कानूनगो पद समाप्त कर दिया गया था तो सहा0रजि0कानूनगो पद पर चयन किया जाना अनियमित था तो ऐसे **सहा0रजि0कानूनगो के अनियमित पद धारकों को नियमावली के परिपालन में वरिष्ठता सूची** में शामिल किया जाना भी अनियमित है।

11.यह कि जनपदों में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो तथा एल0आर0सी0 के चयन में बरिष्ठतम लेखपालों को **मनमाने तरीके से** छोड दिया गया

12.यह कि जनपदों में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो तथा एल0आर0सी0 के चयन में बरिष्ठतम लेखपालों से उनकी प्रोन्नति को छोड़ने के **आशय का कोई शपथ पत्र नहीं** लिया गया था।

13. यह कि किसी भी प्रोन्नति की प्रक्रिया में विज्ञप्ति आदि नहीं जारी की गई तथा ऐसी कोई प्रक्रिया सम्पादित की जा रही है उसे **व्यापक रूप से संज्ञानित कराने हेतु कोई सूचना किसी** भी लेखपाल को प्रायः नहीं दी गई।

14. यह कि माननीय राजस्व परिषद द्वारा सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो तथा एल0आर0सी0 पदों हेतु कोई डी0पी0सी0 द्वारा कोई पदोन्नति की प्रकिया पूर्ण नहीं करायी गयी।

15.यह कि उ0प्र0 अधीनस्थ कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली 2014 को बनाये जाने से पूर्व यह जाँच आवश्यक थी कि नियमावली में बर्णित राजस्व निरीक्षक नाम का एक संवर्ग किये जाने से पूर्व उसमे शामिल किये जा रहे सभी विभिन्न चयन पद्वति के संवर्गो की **नियुक्तियां नियमित एवम् वैध है या नहीं ऐसी कोई जाँच नहीं की गई।**

16. यह कि प्रदेश के सभी सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो, तथा एल0आर0सी0 के पदो पर नियुक्ति पाने वाले लेखपाल जनपदों में ही **काफी कनिष्ठ थे प्रदेश में अति कनिष्ठ थे**। इसलिये ऐसी पदोन्नतियों को निरस्त किया जाना था।

17.यह कि प्रस्तर 15 व 16 के अनुसार कार्यवाही उपरान्त **सही नियुक्तिया की जाकर उपरान्त में संवर्ग को एकीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय परिषद द्वारा किया जाना चाहिये था।** किन्तु ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार पूरे प्रदेश में एक **व्यतिकम** उत्पन्न हो गया है।

18. यह कि विना नियमित प्रोन्नति पाये लेखपालों को भी एकीकृत संवर्ग में शामिल कर अन्य **बरिष्ठ लेखपालों के साथ भेदभाव तथा अन्याय** किया है। ऐसी अनियमित पदोन्नति पाये सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो,तथा एल0आर0सी0 को उनके पोषक पद लेखपाल पद पर **पदावनत किया जाना न्यायहित** में आवश्यक है। प्रदेश में ऐसे चयन हेतु की गयी सभी प्रकियायें निरस्त किये जाने योग्य हैं।

19.यह कि पदोन्नति हेतु केवल **ज्येष्ठता नियमावली 1991 के अनुसार कार्यवाही करते हुये केवल ज्येष्ठता सूची के आधार पर ही नामों का विचार किया जाना चाहिये था।** ज्येष्ठता के निर्धारण हेतु ज्येष्ठता नियमावली 1991 के अनुसार ही अवधारणा की जानी चाहिये थी। किन्तु अधिकतर जनपदों में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो,रजिस्ट्रार कानूनगो तथा एल0आर0सी0 के पदो पर पदोन्नति हेतु चयन करते समय ऐसा नही किया गया। जिससे **चयन अनियमित हो गये** जो निरस्त किये जाने योग्य है।

20.यह कि कार्यालय राजस्व परिषद,उ0प्र0,लखनऊ द्वारा जारी राजस्व निरीक्षक पद की बरिष्ठता सूची में 171 लेखपालों का नियुक्ति दिनांक प्रत्यावेदन कर्ता की नियुक्ति दिनांक 14.11.91 के बाद की है ये सभी **लेखपाल प्रत्यावेदन कर्ता से कनिष्ठ थे।** जिन्हे राजस्व निरीक्षक बनाया गया है।

कमाक	परिषद द्वारा जारी राजस्व निरीक्षकों की बरिष्ठता सूची में कमांक	नाम	लेखपाल पद पर नियुक्ति का दिनांक	अनियमित रूप अगले जिस पद पर चयन किया गया उसका पद नाम
01	237	श्री संजय कुमार शर्मा	20.11.1991	भूलेख लिपिक
02	256	श्री हंसराज प्रसाद	03.12.1997	भूलेख लिपिक

03	266	श्री घनेन्द्र तिवारी	01.12.1997	आर0के0
04	268	श्री प्रेमवीर सिंह	02.02.1993	आर0के0
05	271	श्री हरीलाल	23.03.1994	आर0के0
06	272	श्री रामप्रकाश	19.11.1992	आर0के0
07	273	श्री राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय	03.01.1996	आर0के0
08	278	श्री सुधीर गिरि	19.11.1997	भूलेख लिपिक
09	279	श्री जाकिर हुसैन	25.01.1994	भूलेख लिपिक
10	280	श्री सिद्धार्थ राणा	03.04.1998	आर0के0
11	281	श्री हरीशंकर दुवे	23.02.1993	भूलेख लिपिक
12	284	श्री मुन्ने खॉ	01.12.1997	आर0के0
13	287	श्री प्रदीप कुमार निगम	16.05.1998	आर0के0
14	289	श्री सुरेश चन्द्र गौतम	20.01.1998	आर0के0
15	301	श्री अनूपकुमार श्रीवास्तव	29.06.1992	आर0के0
16	302	श्री सीताराम	08.09.1993	आर0के0
17	303	श्री देवानन्द श्रीवास्तव	13.07.1998	आर0के0
18	320	श्री सुशील कुमार	01.07.1998	सहा0आर0के0
19	354	श्री महेन्द्र सिह	17.02.1994	आर0के0
20	362	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव	04.02.1994	आर0के0
21	368	श्री रामबक्श	30.01.1992	आर0के0
22	369	श्री बृजराज सिह	24.01.1993	सहा0आर0के0
23	370	श्री ललित नरायन प्रशान्त	26.06.1995	सहा0आर0के0
24	371	श्री चन्द्र प्रकाश राजपूत	15.06.1998	सहा0आर0के0
25	387	श्री राजेश कुमार सिंह	26.02.1992	भूलेख लिपिक
26	388	श्री रजनीश	21.11.1997	आर0के0
27	389	श्री आनन्द भूषण सिंह	21.11.1997	आर0के0
28	390	श्री रमेश चन्द्र	27.11.1997	आर0के0
29	394	श्री विजय कुमार	25.10.1992	आर0के0
30	398	श्री देश राज भारती	21.12.1991	आर0के0
31	399	श्री गिरीशचन्द्र	12.09.1994	आर0के0
32	400	श्री शम्भूशरण पाण्डेय	23.12.1997	आर0के0
33	401	श्री दिनेश कुमार	23.12.1997	आर0के0
34	402	श्री यशवन्त सिह	23.12.1997	आर0के0
35	403	श्री जितेन्द्र कुमार	23.12.1997	आर0के0
36	404	श्री रामबालक	24.12.1997	आर0के0
37	405	श्री सुजीत कुमार सिह	24.12.1997	आर0के0
38	406	श्री संतोष कुमार	06.01.1998	आर0के0
39	408	श्री महबूब आलम	18.11.1992	सहा0आर0के0
40	409	श्री राजेश कुमार मिश्र	03.01.1996	सहा0आर0के0
41	410	श्री राम सूरज	03.01.1996	सहा0आर0के0
42	411	श्री जीवेन्द्र कुमार त्रिपाठी	03.01.1996	सहा0आर0के0
43	412	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	24.11.1997	सहा0आर0के0
44	413	श्री गोपाल जी	24.11.1997	सहा0आर0के0
45	414	श्री महेन्द्र कुमार तिवारी	07.09.1994	भूलेख लिपिक
46	432	श्री गिरीशचन्द सोनकर	16.09.1993	आर0के0
47	434	श्री गौरीशंकर	08.09.1993	आर0के0
48	435	श्री राम आशीष	05.09.1997	आर0के0

49	443	श्री संतोष कुमार गुप्ता	01.06.1992	आर0के0
50	444	श्री रमा शंकर मिश्र	29.08.1992	आर0के0
51	445	श्री अमरनाथ पाण्डेय	25.08.1993	आर0के0
52	449	श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव	13.01.1997	आर0के0
53	460	श्री दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव	08.02.1993	आर0के0
54	469	श्री हरीशंकर वर्मा	06.05.1995	आर0के0
55	470	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव	31.10.2001	आर0के0
56	491	श्री राजीव कुमार	29.11.1997	आर0के0
57	497	श्री सत्य प्रकाश यादव	05.06.1996	आर0के0
58	509	श्री घुरई लाल	14.12.1995	आर0के0
59	510	श्री अनिल प्रकाश शुक्ल	14.12.1995	आर0के0
60	511	श्री चन्दनलाल	14.12.1995	आर0के0
61	512	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र	14.12.1995	आर0के0
62	513	श्री राकेश त्रिवेदी	14.12.1995	आर0के0
63	514	श्री हरिकिशोर	14.12.1995	आर0के0
64	560	श्री जे0एस0बुधियाल	09.10.1997	राजस्व निरीक्षक
65	562	श्री रामप्रकाश	24.12.1997	आर0के0
66	564	श्री राजेश चन्द्र तिवारी	10.02.1994	भूलेख लिपिक
67	566	श्री राजेन्द्र प्रसाद	29.12.1992	आर0के0
68	574	श्री पप्पू सिंह राना	09.05.1995	राजस्व निरीक्षक
69	581	श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	08.02.1993	आर0के0
70	582	श्री जुगेन्द्र कुमार	30.06.1994	राजस्व निरीक्षक
71	585	श्री विजेन्द्र सिह	30.05.1994	राजस्व निरीक्षक
72	597	श्री वीरेन्द्र कुमार	29.12.1997	भूलेख लिपिक
73	610	श्री संजय कुमार	28.04.1993	आर0के0
74	625	श्री बालचन्द चौहान	10.02.1993	आर0के0
75	626	श्री दिनेश	05.02.1993	आर0के0
76	637	श्री अरूण प्रकाश वघेल	03.03.1993	आर0के0
77	638	श्री अशोक कुमार	25.02.1994	सहा0 आर0के0
78	640	श्री विवेकानन्द	12.05.1994	भूलेख लिपिक
79	641	श्री नाथूराम	15.11.1991	राजस्व निरीक्षक
80	642	श्री शत्रोहनलाल राना	23.11.1991	राजस्व निरीक्षक
81	643	श्री रामचन्द्र	18.12.1995	राजस्व निरीक्षक
82	645	श्री श्यामसुन्दर	29.01.1992	राजस्व निरीक्षक
83	646	श्री रामनाथ	22.09.1995	राजस्व निरीक्षक
84	647	श्री सुखराम बहादुर चौधरी	28.10.1995	राजस्व निरीक्षक
85	648	श्री गौरीशंकर	01.06.1992	सहा0 आर0के0
86	649	श्री लक्ष्मण सिंह टौलिया	01.02.1993	सहा0 आर0के0
87	651	श्री राजेश कुमार यादव	01.06.1992	सहा0 आर0के0
88	652	श्री अतुल कुमार पाल	18.08.1993	सहा0 आर0के0
89	653	श्री राजीव कुमार सिह	28.08.1993	सहा0 आर0के0
90	654	श्री शिववदन शास्त्री	08.02.1993	आर0के0
91	656	श्री देवेन्द्र सिंह	10.05.1995	राजस्व निरीक्षक
92	657	श्री कश्मीरसिह	12.05.1995	राजस्व निरीक्षक
93	658	श्री फूलसिह	12.05.1995	राजस्व निरीक्षक
94	659	श्री कमलेश कुमार राजपूत	01.05.2001	भूलेख लिपिक

95	661	श्री राजेन्द्र प्रसाद	10.02.1993	आर0के0
96	662	श्री विरेन्द्र कुमार	03.03.1993	भूलेख लिपिक
97	663	श्री बाल किशन	20.02.1996	राजस्व निरीक्षक
98	667	श्री राकेश कुमार	01.12.1997	सहा0 आर0के0
99	670	श्री गंगा सिंह	18.01.1993	राजस्व निरीक्षक
100	678	श्री राजीव कुमार	21.11.1997	आर0के0
101	681	श्री तीरथराज	15.02.1996	राजस्व निरीक्षक
102	682	श्री राममिलन	15.02.1996	राजस्व निरीक्षक
103	683	श्री रामपाल चौधरी	15.02.1996	राजस्व निरीक्षक
104	684	श्री रामेश्वर राणा	05.05.1996	राजस्व निरीक्षक
105	696	श्री विजय कुमार	13.01.1993	भूलेख लिपिक
106	697	श्री बच्चूलाल	12.02.1993	आर0के
107	718	श्री हरिप्रसाद	25.11.1997	भूलेख लिपिक
108	723	श्री गंगाराम	28.11.1997	सहा0 आर0के0
109	724	श्री अशोक कुमार	09.02.1994	सहा0 आर0के0
110	730	श्री मनोज कुमार गिरि	28.06.2005	भूलेख लिपिक
111	734	श्री गंगा सिह	28.02.1994	राजस्व निरीक्षक
112	742	श्री राजवीर	28.08.1993	सहा0 आर0के0
113	746	श्री संजीव कुमार	01.11.1996	भूलेख लिपिक
114	747	श्री धर्मेन्द्र कुमार	21.11.1997	आर0के0
115	748	श्री प्रशांत कुमार	21.11.1997	आर0के0
116	770	श्री रामासरे	16.07.1996	राजस्व निरीक्षक
117	777	श्री राजपालसिह	01.07.1998	सहा0 आर0के0
118	781	श्री सुन्दरसिह	27.12.1997	राजस्व निरीक्षक
119	811	श्री देवेन्द्र कुमार	03.01.1996	आर0के0
120	827	श्री हरीशचद्र जोशी	01.04.1996	सहा0 आर0के0
121	833	श्री विवेक श्रीवास्तव	24.05.1996	सहा0 आर0के0
122	834	श्री संजय कुमार राय	10.02.1993	सहा0 आर0के0
123	841	श्री चन्द्र प्रकाश लाल	10.02.1993	सहा0 आर0के0
124	842	श्री जयप्रकाश राम	02.02.1994	सहा0 आर0के0
125	843	श्री नवीन प्रकाश	01.02.1993	सहा0 आर0के0
126	844	श्री कन्हैयालाल यादव	05.02.1993	सहा0 आर0के0
127	851	श्री ऋषिपाल सिह	15.05.1995	राजस्व निरीक्षक
128	852	श्री करनसिह राणा	12.08.1995	राजस्व निरीक्षक
129	858	श्री प्रवीण कुमार	16.01.1993	राजस्व निरीक्षक
130	861	श्री शाने हैदर अली	02.08.2003	आर0के0
131	863	श्री रमेशचन्द्र पाण्डेय	01.02.1993	सहा0 आर0के0
132	864	श्री अम्बरीश सिंह	10.02.1993	सहा0 आर0के0
133	865	श्री चन्द्रमोहन शुक्ल	09.02.1994	सहा0 आर0के0
134	870	श्री कामता प्रसाद द्विवेदी	14.02.1994	सहा0 आर0के0
135	871	श्री अजय कुमार सिंह	04.12.1992	सहा0 आर0के0
136	872	श्री गायत्री प्रसाद त्रिपाठी	23.09.1993	सहा0 आर0के0
137	876	श्री राजेश कुमार भारती	26.11.1995	सहा0 आर0के0
138	877	श्री पीयूष कुमार जयसवाल	03.01.1996	सहा0 आर0के0
139	878	श्री उदयराज रत्ना	05.01.1996	सहा0 आर0के0
140	879	श्री प्रेमनारायण	11.08.1998	सहा0 आर0के0

141	885	श्री उमेश कुमार	07.09.1994	आर0के0
142	886	श्री नन्दकिशोर पाण्डेय	12.09.1995	सहा0 आर0के0
143	887	श्री देवीप्रसाद	04.09.1996	सहा0 आर0के0
144	910	श्री मथुरा प्रसाद	28.11.1997	सहा0 आर0के0
145	911	श्री अम्बरीश	28.11.1997	सहा0 आर0के0
146	912	श्री विजय प्रकाश गुप्त	28.11.1997	सहा0 आर0के0
147	921	श्री अरविन्द कुमारसिह	22.11.1997	सहा0 आर0के0
148	922	श्री उदयवीरसिह	14.01.1998	सहा0 आर0के0
149	961	श्री सुशील कुमार	28.11.1997	सहा0 आर0के0
150	1015	श्री अखिलेश कुमार	08.04.2003	सहा0 आर0के0
151	1075	श्री विष्णु प्रसाद सिंह	25.01.1994	सहा0 आर0के0
152	1120	श्री जयप्रकाश वर्मा	14.12.1995	सहा0 आर0के0
153	1121	श्री सतीश चन्द्र मिश्र	14.12.1995	सहा0 आर0के0
154	1122	श्री उमेश चन्द्र त्रिपाठी	13.07.1998	भूलेख लिपिक
155	1123	श्री बदनसिह यादव	11.07.2005	सहा0 आर0के0
156	1125	श्री राम लखन वर्मा	04.02.1993	आर0के0
157	1135	श्री जितेन्द्र सेठ	27.09.2006	भूलेख लिपिक
158	1143	श्री सन्तराम	25.05.1992	सहा0 आर0के0
159	1144	श्री प्रताप नरायन ओझा	01.06.1992	सहा0 आर0के0
160	1146	श्री प्रदुम्न कुमार त्रिपाठी	09.01.1996	सहा0 आर0के0
161	1147	श्री यशवन्त सिह	09.01.1996	सहा0 आर0के0
162	1148	श्री अखिलेश कुमार श्री0	12.01.1996	सहा0 आर0के0
163	1150	श्री अशोक कुमार	11.02.1994	सहा0 आर0के0
164	1153	श्री रमेश चन्द्र नामदेव	06.05.1995	भूलेख लिपिक
165	1156	श्री दिनेश चन्द्र	15.07.2005	सहा0 आर0के0
166	1164	श्री प्रवीण कुमार गुप्ता	16.02.1994	सहा0 आर0के0
167	1165	श्री मुकेश कुमार शर्मा	17.11.1997	सहा0 आर0के0
168	1170	श्री रामशब्द	23.01.1992	सहा0 आर0के0
169	1171	श्री कृष्ण गोपाल	06.02.1992	सहा0 आर0के0
170	1210	श्री अमरनाथ द्विवेदी	01.06.1992	सहा0 आर0के0
171	1216	श्री सतेन्द्र कुमार	16.07.2005	सहा0 आर0के0

21. यह कि उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है उपरोक्त बर्णित लेखपालों को अनियमित अवैध लाभ के अन्तर्गत अनियमित **पदोन्नति राजस्व निरीक्षक,सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो,रजिस्ट्रार कानूनगो तथा एल0आर0सी0** के पद पर प्रदान की गयी जिसके कारण प्रत्यावेदन कर्ता के साथ एवम् अन्य बरिष्ठ लेखपालों के **हितो का अतिकमण किया गया है।** इसलिये उक्त प्रकार की पदोन्नतियां अनियमित व अवैध है। जिन्हे न्याय हित में निरस्त किया जाना आवश्यक है।

22.यह कि उपरोक्त सूची में अंकित प्रत्यावेदन कर्ता से कनिष्ठ लेखपाल जो **पदोन्नति पाकर राजस्व निरीक्षक,सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो,रजिस्ट्रार कानूनगो तथा एल0आर0सी0** बनाये गये इनकी **पदोन्नति ही अवैध है**। चूंकि पदोन्नति अवैध या शून्य है **इसलिये इन्हें लेखपाल पद पर पदावनत किया जाना था किन्तु इन्हें पदावनत करने के स्थान पर एकीकृत संवर्ग राजस्व निरीक्षक की प्रास्थिति प्रदान कर दी गई, जबकि प्रत्यावेदन कर्ता उल्लिखित लेखपालों से बरिष्ठ है इसलिये उसे भी राजस्व निरीक्षक प्रास्थिति प्रदान किया जाना न्याय संगत है।**

23.यह कि उपरोक्त सूची में अंकित प्रत्यावेदन कर्ता से कनिष्ठ लेखपाल जो **प्रथम पदोन्नति पाकर राजस्व निरीक्षक,सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो,रजिस्ट्रार कानूनगो तथा एल0आर0सी0** बनाये गये इनकी **पदोन्नति**

ही अवैध है। इस प्रथम पदोन्नति के फलस्वरूप ये परिणामी ज्येष्ठता का लाभ लेकर द्वितीय पदोन्नति भी अनियमित रूप से पा जायेगे। चूंकि इनकी प्रथम पदोन्नति अवैध या शून्य है **इसलिये इन्हें लेखपाल पद पर पदावनत किया जाना विधि सम्मत है।**

24.यह कि प्रथम पदोन्नति नियमानुसार केवल बरिष्ठता के आधार पर की जानी चाहिये। जिसके सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। किन्तु ऐसा नहीं करके प्रत्यावेदन कर्ता तथा **प्रदेश के अन्य बरिष्ठ लेखपालों** के साथ अन्याय कर उनका हित प्रभावित किया गया है इसलिये सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो,रजिस्ट्रार कानूनगो, तथा एल0आर0सी0 पदों पर ऐसी सभी **पदोन्नतियां** निरस्त किये जाने योग्य है।

25.यह कि जव प्रथम पदोन्नति अवैध हो गयी है तथा ऐसी पदोन्नतियों को निरस्त नहीं किया जाता है तो **प्रत्यावेदन कर्ता को ऐसी हानि होगी जिससे क्षतिपूर्ति भविष्य में कभी नहीं की जा सकेगी।**

26.यह कि इस प्रकार प्रत्यावेदन कर्ता से कनिष्ठ लेखपालों (सूची के कमांक 01 से 171) को **राजस्व निरीक्षक पदनाम देकर उक्त पद पर नियुक्त कर दिया गया हैं** जवकि प्रत्यावेदन कर्ता वर्तमान में भी लेखपाल पद पर कार्यरत है। अतः प्रत्यावेदन कर्ता के हितों के साथ अन्याय किया गया है इसलिये ऐसे सभी चयन/पदोन्नतियां निरस्त किये जाने योग्य है।

27.यह कि प्रदेश के जनपदों में विभिन्न पदोन्नति प्रकरणों में ज्येष्ठता का अवैध,अनियमित अतिकमण किया है। जनपदीय स्तर पर सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो,रजिस्ट्रार कानूनगो, तथा एल0आर0सी0 पदों पर लेखपालों में से जो भी पदोन्नतियां की गई प्रायः ज्येष्ठता का अतिकमण करते हुये ही की गई है **जिनकी न्याय हेतु गहन जाँच आवश्यक है।** कनिष्ठ लेखपालों का चयन कर पदोन्नति प्रदान कर दी गई। जबकि अन्य बरिष्ठ लेखपालों के नामों पर विचार ही नहीं किया गया। इसलिये ऐसे सभी चयन/पदोन्नतियां निरस्त किये जाने योग्य है।

28.यह कि कार्यवाही उपरोक्त वर्णित नियमों एवम् निर्देशों के अनुरूप ही सम्पादित की जानी चाहिये थी, किन्तु कतिपय जनपदों में जनपदीय स्तर पर की गई प्रोन्नतियों/चयन में उपरोक्त नियमों की अनदेखी कर **मनमाने तरीके से नियम विरूद्ध चयन प्रकिया अपनाकर** सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो,रजिस्ट्रार कानूनगो,एल0आर0सी0 पद पर नियुक्तियां की गई जो निरस्त होने योग्य है।

29. यह कि विभिन्न जनपदों में वर्ष 2005 के उपरान्त में अनियमित रूप से लाभ देते हुये कुछ कनिष्ठ लेखपालों को सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो तथा रजिस्ट्रार कानूनगो एवम् एल0आर0सी0 के रूप में चयन कर नियुक्ति प्रदान कर दी गई जो पूर्ण रूप अनियमित है इसलिये **सम्पूर्ण प्रदेश में ऐसे चयन हेतु** की गयी सभी प्रकियायें निरस्त किये जाने योग्य हैं।

30.माननीय राजस्व परिषद द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दी गई सूचना के अनुसार राजस्व परिषद के पास यह सूचना उपलब्ध नही है कि प्रदेश की रा0नि0 बरिष्ठता सूची में शामिल किये सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो,रजिस्ट्रार कानूनगो,एल0आर0सी0 पदों पर पदोन्नति के समय प्रदेश के बरिष्ठतम लेखपाल थे या नहीं, **इससे यह सिद्ध होता है कि माननीय परिषद ने उक्त पदोन्नतियों की निगरानी नहीं की।** तथा अनियमित चयन को भी स्वीकार करते हुये बरिष्ठता सूची मे नाम अंकित किये गये इस प्रकार बरिष्ठता सूची दूषित रूप से बनायी गई है।

31.माननीय राजस्व परिषद ने यह भी संज्ञान नहीं लिया कि उक्त बरिष्ठता सूची में शामिल सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो,रजिस्ट्रार कानूनगो,एल0आर0सी0 उक्त पदों पर पदोन्नति के समय जनपद में भी बरिष्ठतम लेखपाल थे या नहीं, **इससे यह सिद्ध होता है जनपदों पर अनियमित प्रकिया अपना कर दूषित मन्तव्यों के साथ कार्य करते हुये अनियमित चयन किये गये।** ऐसे चयन निरस्त किये जाने योग्य है।

32.माननीय राजस्व परिषद ने उक्त चयन के वाद भी जारी परिषदादेश संख्या 8332/4–22ई /88 दिनांक 22.5.1990 के जनपदों पर पालन कराये जाने में **कोई रूचि नही दिखायी उक्त परिषदादेश की आलोक में नियुक्तियों की जाँच नहीं की गई** तथा अनियमित पाये चयन को निरस्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की। यह भी परिषद द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है।

33.यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कम में जारी शासनादेश संख्या 4/1/2002 टी0सी0 –1–का–2/2012 दिनांक 8.05.2012 के संशोधन आदेश दिनांक 30.03.2015 के अनुसार दिनांक 15.11.97 के पश्चात तथा दिनांक 28.04.2012 से पूर्व आरक्षण को आधार बना कर की गई पदोन्नतियां निरस्त करते हुये, ऐसी पदोन्नति पाये कार्मिकों को पदावनत किया जाना है। राजस्व विभाग में भी ऐसी पदोन्नति पाये राजस्व निरीक्षक,सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो,तथा एल0आर0सी0 को उनके पोषक पद लेखपाल पद पर पदावनत किया जाना है। किन्तु राजस्व विभाग में मनमानी परिभाषा बनाते हुये कि

इन कार्मिकों से कनिष्ठ का यदि राजस्व निरीक्षक,सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, रजिस्ट्रार कानूनगो या एल0आर0सी0 पद पर चयन हो गया है तो ऐसे कार्मिकों को लेखपाल पद पर पदानवत नहीं किया जा सकता है। जवकि उपरोक्त सभी से **बरिष्ठ वर्तमान में लेखपाल पद पर ही कार्यरत है।** इसलिये राजस्व विभाग में ऐसे चयन हेतु की गयी सभी प्रकियायें निरस्त किये जाने योग्य हैं।

34.यह कि सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो पद हेतु पूर्व में अर्हता हेतु अधिकतम 35 वर्ष की आयु थी। नियुक्ति के उपरान्त वयवस्थानुसार द्वितीय प्रोन्नति रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर की जानी थी। उपरोक्त चयन में वाछित अर्हता का संज्ञान नहीं लिया गया है। **एकीकृत संवर्ग की बरिष्ठता सूची में ऐसे कार्मिकों का नाम अंकित किया जाना अनियमित है।**

35.यह कि माननीय राजस्व परिषद से प्राप्त राजस्व निरीक्षक की बरिष्ठता सूची का अवलोकन करने से यह संज्ञान हो जाता है कि प्रदेश के **कतिपय जनपदों में रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर चयन किया गया तथा अन्य कतिपय जनपदों में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर चयन किया गया है।** इससे यह सिद्ध होता है कि प्रदेश में एक व्यवस्था नहीं अपनायी गयी मनमानी व्यवस्था बना कर अनियमित चयन किये गये जो निरस्त किये जाने योग्य है।

36.यह कि कुछ अति कनिष्ठ लेखपालों को अनियमित रूप से सहा0रजि0कानूनगो, रजि0कानूनगो नियुक्त करने के उपरान्त उनको राजस्व निरीक्षक पद की प्रास्थिति प्रदान करते हुये उक्त राजस्व निरीक्षक का प्रशिक्षण विगत माह जून 2015 से सितम्बर 2015 में कराया गया है, इसलिये इनसे बरिष्ठ लेखपालों को भी राजस्व निरीक्षक पद की प्रास्थिति प्रदान करते हुये उक्त पद का प्रशिक्षण कराते हुये उक्त पद पर नियुक्ति प्रदान किया जाना न्यायसंगत होगा।

प्रार्थना

अतः महोदय से प्रार्थना है कि कतिपय जनपदों में ज्येष्ठता का अतिक्रमण करके सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो,रजिस्ट्रार कानूनगो,एल0आर0सी0 तथा राजस्व निरीक्षक पदों पर वर्ष 2005 के वाद किये गये अनियमित चयन/ नियुक्तियों को निरस्त करते हुये **अनियमित,अवैध,संविधान की भावना के विपरीत,ज्येष्ठता का अतिक्रमण करते हुये,मनमानी रीति से दी गई पदोन्नतियों के परिणाम स्वरूप एकीकृत राजस्व निरीक्षक संवर्ग में प्रत्यावेदन कर्ता से कनिष्ठ लेखपालों को राजस्व निरीक्षक (लेखपाल का पदोन्नति का पद) पद की प्रास्थिति प्रदान कर दी गयी है इसलिये प्रत्यावदेन कर्ता को भी उल्लिखित राजस्व निरीक्षक प्रास्थिति पाये लेखपालों से बरिष्ठ होने के कारण, राजस्व निरीक्षक प्रास्थिति प्रदान करते हुये उ0प्र0राजस्व निरीक्षकों की बरिष्ठता सूची में यथा स्थान अंकित करने की कृपा करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रत्यावेदनकर्ता से कनिष्ठ अनियमित रूप से राजस्व निरीक्षक की प्रास्थिति पाये,सूची में शामिल लेखपालों को मूल पद लेखपाल पर पदावनत किया जाये।**

प्रत्यावेदन कर्ता महोदय का सदा आभारी रहेगा।

न्याय की प्रत्याशा में आभार सहित!

प्रत्यावेदन कर्ता

दिनांक 27.10.2015

कृष्ण कुमार सिंह
लेखपाल
जिला अलीगढ

अग्रिम प्रतिलिपिः–
श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व परिषद,उ0प्र0लखनऊ।